न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी हरबिन्दर डी. सिंह R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
09/प्रा0पत्र/23(2023/21)	24.01.2023	24.06.2024

1. उत्तम सिंह आत्मज श्री तारा सिंह आयु व्यस्क जाति जट सिख निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान।
2. प्रेम बाई पत्नी श्री सत्यनारायण आयु व्यस्क जाति लौधा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 ।

अप्रार्थी

समेकित प्रार्थना पत्र

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
07/प्रा0पत्र/23(2023/19)	24.01.2023	24.06.2024

1. सृजन एग्रीटेंक प्राईवेट जर्ये प्रो० अमित गुप्ता निवासी 112 शक्ति नगर कोटा राजस्थान।
2. प्रेम बाई पत्नी श्री सत्यनारायण आयु व्यस्क जाति लौधा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० ।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

अप्रार्थी

समेकित प्रार्थना पत्र

मिसल नं0	तारीख दायर	तारीख फैसला
10/प्रा0पत्र/23(2023/22)	24.01.2023	24.06.2024

1. जरनेल कौर पत्नी श्री उत्तम सिंह आयु व्यस्क जाति जट सिख निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राजस्थान ।
2. प्रेम बाई पत्नी श्री सत्यनारायण आयु व्यस्क जाति लौधा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील तालेडा जिला बूंदी राज०।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 131 एल आर एक्ट।

वास्ते नक्शा एवं तरमीम शुद्वीकरण।

उपस्थित अभिभाषक

अभिभाषक प्रार्थीगण :– श्री हिम्मत सिंह

अभिभाषक अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 16 पुराना 11 की खसरा सं. 936/74 रकबा 0.8903 हैक्टेयर वाके ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 में विस्थित है। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076-2076 प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। एवं पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चलें आ रहे है। पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर बनाये गये नक्शे के आधार पर प्रार्थी अपना कृषि कार्य कर रहा था एवं वर्तमान में भी उसी नक्शा एवं तरमीम के अनुसार कृषि कार्य कर रहा है परन्तु जब वर्तमान में नक्शे को ऑनलाईन किया गया तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि के नक्शे को परिवर्तित कर दिया गया । प्रार्थी की भूमि जो चरण सं. 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेडा में ऑनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ । आनन फानन मे प्रार्थी जहाँ काबिज है वहाँ का नक्शा को प्रार्थी की भूमि खाता सं. नया 16. पुराना 11 की खसरा सं. 936/74 रकबा 0,8903 हैक्टेयर पर अंकित नही किया एवं दुसरी जगह नक्शा प्रार्थीगण के खाते की भूमि खाता सं. नया 16. पुराना 11 की खसरा सं. 936/74 रकबा 0.8903 हैक्टेयर कर अंकित कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ । एल आर एक्ट की धारा 131 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम मे गलती हुई तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर ही पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवा कर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धी करवाई जा सकती है। गलत नक्शे एवं तरमीम के चलते प्रार्थी को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है एवं मौके पर अन्य खातेदार प्रार्थी को नाजायज परेशान करते है। एवं रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे है तथा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है। एवं इस बाबत जब प्राथी के द्वारा हल्का पटवारी जाखमूण्ड से दिनांक 02.06,2022 को निवेदन किया कि प्रार्थी की भूमि का नक्शा एवं तरमीम शुद्ध किया जावे तो पटवारी हल्का जाखमूण्ड के द्वारा प्रार्थी के साथ टालमटोल की गई। प्रार्थी के द्वारा दिनांक 02.06.2022 को तहसीलदार तालेडा से नक्शा एवं तरमीम शुद्धी के लिये निवेदन किया परन्तु तहसीलदार तालेडा के द्वारा प्रार्थी की बात नही सुनी एवं प्रार्थी की भूमि के नक्शा एवं तरमीम शुद्ध के सबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो वाद कारण बना एवं वर्तमान में भी लगातार बना हुआ है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर पूर्व के नक्शे एवं तरमीम को ही दर्शित करने के तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे कि पुनः प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित है पर नक्शा एवं तरमीम का शुद्दीकरण दर्ज कर अकिंत करे।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 16 पुराना 11 की खसरा सं. 936/74 रकबा 0.8903 हैक्टेयर वाके ग्राम जाखमुण्ड में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की काबिज स्थिति को देखते हुये नक्शा एवं तरमीम शुद्दीकरण के आदेश फरमावे एवं वर्तमान में ऑनलाईन रास्ता जो कि राजस्थान राज्य की गलती से टकिंत हुआ है को शुद्धिकरण कर प्रार्थी की भूमि के पूर्व नक्शे को वर्तमान में इन्द्राज करवाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार तालेडा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि उक्त भूमि के समीपस्थ भूमि का भी नक्शा तरमीम शुद्धि बाबत प्रकरण न्यायालय में जैरकार है। प्रार्थी की भूमि की तरमीम शुद्धि से अन्य

खातेदार जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सृजन एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड जर्ये अधिकृत प्रतिनिधि अमित गुप्ता आ0 सी.पी. गुप्ता, रजिस्टर्ड ऑफिस 112 बी शक्ति नगर कोटा राज० एवं जरनेल कोर पत्नी श्री उतम सिंह जाति जट सिख निवासी ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 जो कि प्रार्थी के समीपस्थ खातेदार है एवं उक्त दोनो खातेदारो की भूमि का नक्शा शुद्धि हेतु वाद न्यायालय में जैरकार होने से सभी वादो को समेकित किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होगा एवं अन्य खातेदार प्रेम बाई पत्नी श्री सत्यनारायण आयु व्यस्क जाति लौधा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 जो की तरमीम शुद्धि से प्रभावित होगी, को भी सुना जाना न्यायोचित होगा।

प्रकरण सं0 7/2023 एवं 10/2023 को समेकित किया जाकर प्रेम बाई पत्नी श्री सत्यनारायण आयु व्यस्क जाति लौधा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज0 को पक्षकार बनाया गया।

प्रकरण सं0 7/2023 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 369 पुराना 85 की खसरा सं. 1283/74 रकबा 0.1376 हैक्टेयर एवं खसरा सं.1284/74 रकबा 0.6313 हैक्टेयर कुल किता 0.7689 हैक्टेयर वाके ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में काबिज काश्त है। एवं वर्तमान जमाबंदी सम्बत 2076–2076 प्रस्तुत है। पूर्व में काबिज काश्त के आधार पर बनाये गये नक्शे के आधार पर प्रार्थी अपना कृषि कार्य कर रहा था एवं वर्तमान में भी उसी नक्शा एवं तरमीम के अनुसार कृषि कार्य कर रहा है परन्तु जब वर्तमान में नक्शे को ऑनलाईन किया गया तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित कृषि भूमि के नक्शे को परिवर्तित कर दिया गया। प्रार्थी की भूमि जो चरण सं. 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेडा में ऑनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ। एवं आनन फानन मे प्रार्थी जहाँ काबिज है वहाँ का नक्शा को प्रार्थी की भूमि खाता सं. नया 369 पुराना 85 की खसरा स. 1283/74 रकबा 0.1376 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 1284/74 रकबा 0.6313 हैक्टेयर कुल किता 0.7689 हैक्टेयर पर अंकित नहीं किया गया एवं दूसरी जगह का नक्शा प्रार्थीगण के खाते की भूमि खाता सं. नया 369 पुराना 85 की खसरा सं. 1283/74 रकबा 0.1376 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 1284/74 रकबा 0.6313 हैक्टेयर कुल किता 0.7689 हैक्टेयर कर अकिंत कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ। एल आर एक्ट की धारा 131 की धारा में यह प्रावधान किया गया है कि नक्शे एवं तरमीम मे गलती हुई तो प्रार्थी के काबिज काश्त के आधार पर ही पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट मंगवा कर नक्शे एवं तरमीम की शुद्धी करवाई जा सकती है। प्रार्थी माननीय न्यायालय से यह अधिकार रखते है कि प्रार्थी की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित पर काबिज काश्त के आधार पर पूर्व के नक्शे एवं तरमीम को ही दर्शित करने के तहसीलदार तालेडा को आदेशित करवावे कि पुनः प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 मे वर्णित है पर नक्शा एवं तरमीम का शुद्धीकरण दर्ज कर अकिंत करे। अतः प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 369 पुराना 85 की खसरा सं. 1283/74 रकबा 0.1376 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 1284/74 रकबा 0.6313 हैक्टेयर कुल किता 0.7689 हैक्टेयर वाके ग्राम में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की काबिज स्थिति को देखते हुये नक्शा एवं तरमीम शुद्दीकरण के आदेश फरमावे एवं वर्तमान में ऑनलाईन रास्ता जो कि राजस्थान राज्य की गलती से टंकित हुआ है को शुद्धिकरण कर प्रार्थी की भूमि के पूर्व नक्शे को वर्तमान में इन्द्राज करवाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण सं0 10/2023 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 94 पुराना 85 की खसरा स. 937/74 रकबा 1.4326 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 940 रकबा 1.3678 हैक्टेयर वाके ग्राम जाखमूण्ड तहसील तालेडा जिला बूंदी राज० में विस्थित है। जिस पर प्रार्थी खातेदार के रूप में

Scanned with OKEN Scanner

काबिज काश्त है। एवं वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2076-2076 प्रस्तुत है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। पूर्व से ही पुश्तैनी रूप से कृषि कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थी काबिज काश्त के आधार पर बनाये गये नक्शे के आधार पर प्रार्थी अपना कृषि कार्य कर रहा था एवं वर्तमान में भी उसी नक्शा एवं तरमीम के अनुसार कृषि कार्य कर रहा है परन्तु जब वर्तमान में नक्शे को ऑनलाईन किया गया तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि भूमि के नक्शे को परिवर्तित कर दिया गया ।प्रार्थी की भूमि जो चरण सं. 1 में वर्णित है का जब तहसील तालेडा में ऑनलाईन हुई तो उक्त भूमि का नक्शा बदल दिया गया जो कि राजस्थान राज्य की गलती से हुआ । एवं आनन फानन मे प्रार्थी जहाँ काबिज है वहाँ का नक्शा को प्रार्थी की भूमि खाता सं. नया 94 पुराना 85 की खसरा सं. 937/74 रकबा 1.4326 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 940 रकबा 1.3678 पर अंकित नही किया एवं दुसरी जगह का नक्शा प्रार्थीगण के खाते की भूमि खाता सं. नया 94 पुराना 85 की खसरा सं. 937/74 रकबा 1.4326 हैक्टेयर एवं खसरा स. 940 रकबा 1.3678 कर अकिंत कर दिया, जो कि गलत इन्द्राज हुआ। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी के खातेदार अधिकार की कृषि भूमि खाता सं. नया 94 पुराना 85 की खसरा स. 937/74 रकबा 1.4326 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 940 रकबा 1.3678 हैक्टेयर वाके ग्राम जाखमूण्ड में विस्थित भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी की काबिज स्थिति को देखते हुये नक्शा एवं तरमीम शुद्धीकरण के आदेश फरमावे एवं वर्तमान में ऑनलाईन नक्शा जो कि राजस्थान राज्य की गलती से टकिंत हुआ है को शुद्धिकरण कर प्रार्थी की भूमि के पूर्व नक्शे को वर्तमान में इन्द्राज करवाने के आदेश फरमावे।

रिपोर्ट तहसीलदार तालेडा अनुसार प्रेम बाई पत्नी श्री सत्यनारायण आयु व्यस्क जाति लौधा निवासी ग्राम गोविन्दपुर बावडी तहसील तालेडा जिला बूंदी राज. को पक्षकार प्रार्थी बनाया गया। प्रार्थिया प्रेमबाई पत्नी सत्यनारायण द्वारा पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 में यह वर्णित किया कि वाद वर्णित आराजी के संशोधन से प्रार्थिया की भूमि ख0स0 939/74 रकबा 0.6475 हैक्टे0 एवं ख0सं0 938/74 रकबा 1.2950 हैक्टे0 का भी नक्शा एवं तरमीम शुद्विकरण करवाया जाना आवश्यक है।

मूल प्रा0पत्र के साथ पश्चातवर्ति वाद संलग्न कर तहसीलदार तालेडा से समेकित तथ्यात्मक रिपोर्ट मय संशोधित तरमीम के प्रस्ताव तलब किये गये।

तहसीलदार तालेडा द्वारा दिनांक 20.02.2024 रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जाखमुण्ड के मूल ख0सं0 74 के विभाजित 8 खसरा नम्बर की तरमीम अशुद्वि को शुद्व करने बाबत होने से रिपोर्ट सामुहिक निम्नानुसार है -

ग्राम जाखमुण्ड के मुल ख.सं0 74 के कुल आठ टुकडे हो चुके है जो कमशः ख0सं0 936/74 रकबा 0.8903 हैक्टे0, ख0सं0 937/74 रकबा 1.4326 हैक्टे0, ख0सं0 940/74 रकबा 1.3678 हैक्टे0, ख0सं0 939/74 रकबा 1.2950 हैक्टे0, ख0सं0 938/74 रकबा 0.6475 हैक्टे0, ख0सं0 1283/74 रकबा 0.1376 हैक्टे0, ख0सं0 1284/74 रकबा 0.6313 हैक्टे0, ख0सं0 1198/74 रकबा 0.2995 हैक्टे0 हुए है। सेटलमेन्ट नक्शा लटठा में प्रार्थीगण के कब्जा एवं रिकार्ड के अनुसार सम्पूर्ण खसरा नम्बरान् की तरमीम हो रखी थी। परन्तु डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत ऑनलाईन नक्शा तरमीम में उक्त खसरा नम्बरान् की तरमीम सहवन से गलत हो गई है। प्रार्थीगण सेटलमेन्ट नक्शा तरमीम अनुसार वर्तमान ऑनलाईन नक्शा तरमीम को दुरुस्त करवाना चाहते है उक्त प्रकरण में मूल ख0सं0 74 के समस्त टुकडो की तरमीम सहवन से गलत हो गई है जिसे पूर्व नक्शा लटठा में अंकित तरमीम एवं मौके के अनुसार शुद्व किया जाना अपेक्षित है। तरमीम शुद्व किये जाने की अनुशंषा की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

Scanned with OKEN Scanner

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड नकल जमाबन्दी , नक्शा ट्रेस वर्तमान, पूर्व नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मूल ख0सं0 74 के समस्त टुकडो की तरमीम ऑनलाईन करते समय पूर्व नक्शा लटठा में अंकित तरमीम अनुसार नही की जाकर गलत कर दी गई है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तालेडा को आदेशित किया जाता है कि मूल ख0सं0 74 के समस्त टुकडो कमशः ख0सं0 936/74 रकबा 0.8903 हैक्टे0, ख0सं0 937/74 रकबा 1.4326 हैक्टे0, ख0सं0 940/74 रकबा 1.3678 हैक्टे0, ख0सं0 939/74 रकबा 1.2950 हैक्टे0, ख0सं0 938/74 रकबा 0.6475 हैक्टे0, ख0सं0 1283/74 रकबा 0.1376 हैक्टे0, ख0सं0 1284/74 रकबा 0.6313 हैक्टे0, ख0सं0 1198/74 रकबा 0.2995 हैक्टे0 की तरमीम पूर्व नक्शा लटठा अनुसार प्रस्तावित परिशिष्ट ''अ'' अनुसार संशोधित की जावे। परिशिष्ठ ''अ'' निर्णय का भाग रहेगा। शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी। उक्त आदेश प्रकरण के समेकित प्रार्थना पत्र सं0 7/प्रा0पत्र/2023 बउनवान सृजन ऐग्रीटेक बनाम सरकार एवं प्रार्थना पत्र सं. 10/प्रा0पत्र/2023 बउनवान जरनेल कौर बनाम सरकार पर भी प्रभावित रहेगा। निर्णय की एक–एक प्रति समेकित प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की जावे। तहसीलदार तालेडा को पत्र जारी कर पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरेइजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी. सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा

Scanned with OKEN Scanner